साप्ताहिक न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

रोजवेली चिटफंड कंपनी ने ग्रामीणों को लगाया चूना

भोले भाले ग्रामीणों को दिया रकम दुगना करने का झांसा

कोरबा,(आरएनएस)। रोजवेली चिटफंड कंपनी में गरीब किसानों की गाढ़ी कमाई डूब गई है। अधिक ब्याज व रकम दुगना करने का झांसा देकर कंपनी में निवेश कराया गया। निवेश समयावधि पूर्ण होने के बाद भी ग्रामीणों का रकम प्रदान नही किया जा रहा है। जबकि कंपनी ऐजेंट ने कंपनी द्वारा रकम अदायगी न करने पर खुद रकम वापस करने का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया था। पीड़ित ग्रामीणों ने लोक सुराज समाधान शिविर में इसकी शिकायत की है। जनपद पंचायत कोरबा के ग्राम गिरारी अंतर्गत आश्रित गांव सोलवा के कई ग्रामीणों ने ऐजेंट अनिल कुमार बखला के कहने पर रोजवेली चिटफंड कंपनी में रूपया जमा कराया था। अनिल कुमार बखला ने रकम दुगना एवं अधिक ब्याज का झांसा देकर उनसे कंपनी में निवेश कराया था। रकम जमा कराते समय उसने ग्रामीणों को आश्वस्त किया था कि कंपनी द्वारा राशि नही दिए जाने पर निवेशित राशि को ब्याज सहित वह खुद वापस करेगा। अब ग्रामीणों द्वारा किए गए निवेश की अवधि पूर्ण हो चुकी है। परंतु रकम वापस नही किया जा रहा है। इसकी शिकायत श्यांग पुलिस से भी की गई है। ग्राम गिरारी में आयोजित लोक सुराज समाधान शिविर में ग्रामीणों ने कंपनी में डूबे राशि को वापस दिलाए जाने की मांग की है।

किसी को भी न दें बैंक खाता, आधार और एटीएम नंबर की जानकारी

0-देमार में सायबर अपराध को लेकर जागरूकता अभियान

धमतरी, 24 मार्च (आरएनएस)। सायबर टीम एवं थाना अर्जुनी की संयुक्त टीम द्वारा देमार में सामुदायिक पुलिसिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों को सायबर अपराध के बारे में जानकारी दी। पुलिस द्वारा बताया गया कि फर्जी फोन कॉल या लॉटरी के नाम पर लालच देने वालों से बचे। किसी व्यक्ति को अपना एटीएम कार्ड, पिन नंबर की जानकारी न दें। एटीएम बूथ से पैसे निकालते समय एटीएम पिन नंबर को सावधानी बरतते हुए पिन कोड एंट्री करें। साथ ही साथ यह भी ध्यान दें, कि पैसा निकालते समय कोई अन्य व्यक्ति बूथ के अंदर न हो। किसी अंजान फोन नंबर से अपने आपको बैंक अधिकारी बनकर कॉल करता है कि आपका बैंक खाते में आधार लिंक से जोड़ने, खाता बंद होने या एटीएम बंद होने की जानकारी देता है तो आप अपना बैंक व आधार कार्ड, एटीएम कार्ड की जानकारी न दें और ऐसे कॉल से सतर्क रहे। एटीएम इस्तेमाल करने के बाद अपना कार्ड ध्यान से चेक कर ले, कि कहीं किसी अंजान व्यक्ति ने बदल तो नहीं दिया है। यदि एटीएम कार्ड का उपयोग करना नहीं आता या असुविधा हो रही हो तो अपने परिचित या किसी बैंक में जाकर सहायता लें। अंजान व्यक्ति की मदद न लें। एटीएम कार्ड पर या एटीएम कार्ड के कव्हर पर एटीएम पिन कोड, पासवर्ड न लिखें। टावर लगाने एवं लॉटरी के नाम पर फर्जी कॉल से बचे एवं अपनी निजी जानकारी न दें। एसएमएस, ई-मेल, मोबाइल, टेलीफोन पर किसी खाता नंबर में पैसा दोगुना करने के लालच में पैसा जमा करने आदि के प्रलोभन से बचने के सुझाव दिए गए।

किशोरियों का अपहरण कर दुष्कर्म, दो युवकों को सश्रम कैद

महासमुंद,(आरएनएस)। किशोरियों का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर दो युवकों को विशेष न्यायाधीश सुषमा सावंत ने अलग-अलग धाराओं में 21 से 24 वर्ष के सश्रम कारावास और डेढ़-डेढ़ हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार घटना चार जुलाई 2015 को ग्राम गड़बेड़ा की है। 14 साल की दो बालिकाएं सुबह साढ़े नौ बजे अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी तभी नारायण मानिकपुरी और सोनू मरकाम मोटरसाइकिल से आए और बालिकाओं को घुमाने के बहाने मुंगईमाता मंदिर ले गए। जहां जंगल में ले जाकर जबरदस्ती शराब पिलाई और दुष्कर्म किया। बाद चांदापारा में ले जाकर छोड़ दिया। इसकी जानकारी पीड़ित बालिकाओं ने परिजनों को दी। तब पांच जुलाई को गांव प्रमुखों की बैठक हुई। बाद पटेवा थाना पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने भादवि की धारा 363, 34 और धारा 366, 34 एवं 376 (2)(1) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 और अजा-अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (1), (12) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया। जहां मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दो अलग-अलग प्रकरणों में विशेष न्यायाधीश सुषमा सावंत ने नारायण मानिकपुरी एवं सोनू मरकाम को 363, 34 के तहत सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रूपए की अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया जाएगा। नारायण मानिकपुरी और सोनू मरकाम को धारा 366 के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया जाएगा। नारायण मानिकपुरी (22) को धारा 376 (2)(1) में दस वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसी प्रकार अभियुक्त सोनू मरकाम (19) को धारा 376 के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताई जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

दंतेवाड़ा जेल ब्रेक, 4 कैदी भागे, लेकिन फिर धर लिए गए

दुबारा बड़े जेल ब्रेक की थी तैयारी

दंतेवाड़ा,(आरएनएस)। जेल में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 4 बंदी फरार हो गए। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। बंदियों ने जेल के संतरी का गला गमछे से दबाया और मारपीट कर कैम्पस से फरार हो गए। गनीमत रही कि अलार्म बजने पर हरकत में आये सीएएफ के जवानों ने फौरन कार्रवाई करते हुए चारों बंदियों को घेराबंदी कर धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक रोजाना की तरह शनिवार को भी नगर पालिका की कचरा वाहन जेल परिसर पहुंची थी। इसी का फायदा उठाते हुए एक बंदी ने पहले जेल की सुरक्षा में लगे 2 संतरियों के गले में गमछे का फंदा डालकर उनसे मारपीट की। इसी बीच अन्य बंदियों ने जेल की चाबी छीन गेट से फरार हो गए। विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि बंदियों की तैयारी बड़े जेल ब्रेक की घटना को अंजाम देने की थी। संतरियों से मारपीट के बाद बंदी शस्त्रागार की ओर भी गए थे, पर कमरे का दरवाजा बंद होने से हथियार उनके हाथ नहीं लग सके। इसके बाद वे जेल के गेट से बाहर निकल कर फरार हो गए। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने इन्हें भागने से पहले ही धर दबोचा और एक बड़ी वारदात टल गई। बता दें कि जेल ब्रेक की कोशिश कर रहे चारों बंदी नक्सल मामलों में जेल में बंद हैं। घटना के बाद एसपी कमलोचन कश्यप समेत तमाम आला अफसर जेल में पहुंचे हैं और वारदात की पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2007 को भी दंतेवाड़ा के इसी जेल में जेल ब्रेक की बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें 300 कैदी एक साथ फरार हो गए थे। बताते चलें कि 150 बंदियों की क्षमता वाले इस जेल में तकरीबन 7 सौ कैदी निरूद्ध हैं।

प्रदेश के कृषको का आय दोगुनी करने सरकार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा - भरत मटियारा

0-दुधावा के समाधान शिविर में 17 पात्र हितग्राहियों को पेंशन देने नया सूची जारी

उत्तर बस्तर (कांकेर), (आरएनएस)। लोक सुराज अभियान 2018 के तहत् आज नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम दुधावा में आयोजित समाधान शिविर मे 1199 आवेदनों का निराकरण किया गया। शिविर को छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा ने संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से किसानों का आय 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जन्म से मृत्यु तक का योजना बनाई है इसका लाभ लेने ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से ग्रामसभा में आयें। शिविर में 17 पात्र हितग्राहियों को नया पेंशन सूची जारी किया गया। खाद्य विभाग द्वारा चार हितग्राहियों को नया राशन कार्ड और तीस हितग्राहियों को गैस कनेक्शन वितरण किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत बासनवाही, मावलीपारा, साईमुण्डा, मुसुरपुट्टा, बिहावपारा, बांगाबारी, माण्डाभर्री, सारवडी और दुधावा पंचायत शामिल हुये। मटियारा ने जानकारी देते हुए कहा कि सालेटोला से साईमुण्डा तक 15 किमी. सड़क चौड़ीकरण कार्य हेतु 10 करोड़ रूपये स्वीकृत की गयी है। इसी प्रकार मासुलपानी से जामगांव और घोटियावाही लगभग 16किमी. सड़क निर्माण कार्य हेतु 7 करोड़ रूपये स्वीकृति दी गई है, यह कार्य शीघ्र प्रारंभ किये जाएंगे। उज्जवला योजना के तहत् गैस कनेक्शन प्रदेश के 35 लाख लोगो को देने का लक्ष्य है, उनमें से 75 प्रतिशत हितग्राहियों को वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य शासन ने कक्षा पहली से बारहवी तक बच्चों को निःशुल्क गणवेश, पुस्तक और मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है। हर तीन किमी. में पूर्व माध्यमिक और पांच किमी. में हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित किया जा रहा है। सरस्वती सायकल योजना के तहत् बेटियों को पढ़ायी में सुविधा मिली है, इसके पूर्ण 66 प्रतिशत बालिकाये पढ़ती थी और अब 97 प्रतिशत तक पहुंच गया हैं। राज्य शासन के महत्वकांक्षी योजना के तहत् बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना संचालित की गई है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के बेटियों की विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत् महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से बेटियों को लाभांवित किया जा रहा है। साथ ही कुपोषण की प्रतिशत में काफी कमी लायी है, यह कार्य सराहनीय है। बिजली की आपूर्ति को गांव गांव पहुंचाने सौभाग्य योजना के तहत् हर घर में बिजली पहुंचाई जा रही है। इस क्षेत्र में मार्च के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 108 का जीक्र करते हुए कहा कि दुर्घटना हो या आपातकालिन स्वास्थ्य लाभ लेने हेतु 108 का उपयोग कर सकते है। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से 30 हजार रूपये का लाभ दी जा रही थी उन्हें बढ़ाकर अब 50 हजार रूपये तक का ईलाज करा सकेंगें और गंभीर बिमारी वालो को राज्य शासन के द्वारा 5 लाख रूपये तक की ईलाज कराने की सहायता दी जा रही है। उज्जवला योजना का जीक्र करते हुए कहा कि 35 लाख लोगो को दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग अब तक 9 लाख लोगो को दिये जा चुके है। प्रधानमंत्री के मंशानुरूप आबादी पट्टा लोगो को शीघ्र वितरण किये जायेंगे। प्रदेश में लगभग 66 लाख 60 हजार लोगों के स्मार्ट कार्ड बनाये गये है जिसका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत् गांव में शतप्रतिशत शौचालय बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है उसे जल्द पुरे किये जायेंगे। उन्होंने किसानों से आग्रह कर कहा कि भूमि समतलीकारण कार्य पूर्ण कर खेतो में दो फसल कृषि कर आय में वृद्धि करें। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य हीरामरकाम, जनपद उपाध्यक्ष संजू गोपाल साहू , सरपंच दुधावा महेश्वरी नेताम, मावलीपारा गंगा बाई उईके, बासनवाही गिरजादेवी नेताम, मुसुरपुट्टा सीता शोरी, बिहावापारा रजुला मरकाम, बांगाबारी कमलेश नेताम, माण्डाभर्री तुलसीराम नेताम, सारवण्डी प्रतापसिंह भास्कार, सीईओ जनपद जीएस जांगडे, ,खण्ड शिक्षा अधिकारी पीआर सलाम, सहित बडी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु General Knowledge

1.मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया
2.अरबों ने सिन्ध पर 712 ई. में विजय पायी थी ।
3.अरब आक्रमण के समय सिन्ध पर दाहिर का शासन था
4. भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन-दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था
5. 932 ई.में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गजनी थी ।
6 .अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात् कुछ समय तक गजनी में पिरीतिगीन ने शासक किया इसी के शासनकाल 912-977 ई. में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया ।
7 .प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था ।
8 अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ई. में गजनीकी गद्दी पर बैठा ।
9. महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था जिसका जन्म 1 नवम्बर 971 ई. में हुआ था ।
10. अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था ।
11. महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ई. में गद्दी पर बैठा ।
12. बगदाद का खलीफा अल-आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन-उद्-दौला तथा यमीन उल-मिल्लाह की उपाधि दी ।
13 महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया ।
14. महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था ।
15. महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था
16. महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ई. में किया तथा पेशावर के कूछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया ।
17. महमूद गजनी ने 1001 ई. में शाही राजा जयपाल के विरूद्ध आक्रमण किया था । इसमें जयपाल की पराजय हुई थी ।
18. महमूद गजनी का 1008 ई. में नगरकोट के विरूद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरूद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बतायी जाती है।
19. महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रगभूमि में रखवाया ।
20. महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ई. में सोमनाथ मंदिर पर हुआ । इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संम्पति हाथ लगी । सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अन्हिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया
21. सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था । और कूछ सम्पति लूट ली थी
22. महमूद गजनी का अन्तिम भारतीय आक्रमण 1027 ई. में जाटों के विरूद्ध था ।
23. सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था ।
24. महमूद के सेना में सेवंदराय एवं तिलक जैसे हिन्दू उच्च पदों पर आसीन थे
25. महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ई. में हो गयी ।
26. अलबरूनी फिरदौसी उत्बी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे ।
28. गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था 1173 ई. में शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी का शासक बना इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ई. में मुल्तान के विरूद्ध किया था ।
29. मुहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ई. में पाटन पर हुआ यहाँ का शासक भीम -ii। ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया
30. मुहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौपते हुए गजनी लौट गया
31 मुहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ई. को कर दी गई
32 गुलाम वंश की स्थापना 1206 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था वह गौरी का गुलाम था ।
33 कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ई. को किया था ।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनायी थी।
34 कुतुबमीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी
35 दिल्ली का कुवत-उल-इस्लाम मस्जित एवं अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था ।
36 कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था।

अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, डीजे से मिले वकील

कोरबा,(आरएनएस)। जिला न्यायालय परिसर में शुक्रवार को दो वकीलों के बीच मारपीट की स्थिति निर्मित हो गई। शराब के नशे में एक अधिवक्ता के ऊपर ब्लेड से जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस घटना ने न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। इसकी चिंता अधिवक्ता संघ व वकीलों को भी है। जिसे लेकर जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों व वरिष्ठ वकीलों ने डिस्ट्रिक्ट जज राकेश बिहारी घोरे से मुलाकात की। वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न पहलुओं पर डीजे घोरे का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने मांग की है कि न्यायालय परिसर में सीसीटीवी कैमरा, शराब पीकर न्यायालय में प्रवेश करने वालों की जांच सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्था मुहैय्या कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में अधिवक्ता संघ के सचिव नूतन सिंह ठाकुर ने चर्चा के दौरान बताया कि अधिवक्ता संघ शराब पीकर न्यायालय आने वाले वकीलों पर तो कार्रवाई कर सकता है परंतु न्यायालय में प्रतिदिन विभिन्न मामलों के आरोपी व आम लोगों का आना-जाना लगा रहता है। इस परिस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। वकीलों की मांग पर डीजे घोरे ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

उभयपक्ष पर अपराध पंजीबद्ध

इस मामले में उभयपक्ष की रिपोर्ट पर रामपुर चौकी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार पालीवाल पिता स्व. बिसाहूराम पालीवाल 65 वर्ष सिंचाई कालोनी बालाजी मार्ग निवासी की रिपोर्ट पर विमल साहू पिता बद्रीप्रसाद साहू 49 वर्ष अंधरीकछार निवासी के खिलाफ धारा 294, 506 बी, 307 के तहत शराब पीने के लिए पैसा मांगने की बात पर आरोपी द्वारा गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसी तरह अधिवक्ता विमल साहू की रिपोर्ट पर राजेन्द्र पालीवाल के खिलाफ धारा 294, 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है।

बैल का पोस्टमार्टम नहीं,तो बीमा नहीं मिला, पशु चिकित्सक को शो कॉज

0- ग्रामीण ने कहा बैल की मौत की जानकारी देने पर भी पशु चिकित्सक ने नहीं किया पोस्टमार्टम, इससे नहीं मिल पाया बीमा का लाभ

राजनांदगांव,(आरएनएस)। ग्राम गौलीटोला में आयोजित समाधान शिविर में ग्राम नीचेकोहड़ा के एक किसान ने लोक सुराज में बैल की मौत हो जाने पर भी बीमा राशि नहीं मिल सकने संबंधित आवेदन दिया। इस मामले में किसान ने बताया कि पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम नहीं किए जाने के कारण बीमा कंपनी ने उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। शिविर में मामले के आने पर कलेक्टर ने तत्कालीन पशु चिकित्सक डॉ. बीपी विश्वकर्मा से इस संबंध में पूछा। डॉ. विश्वकर्मा ने बताया कि किसान द्वारा बताने पर वे मौके पर गए लेकिन वहाँ बैल की लाश मौजूद नहीं थी, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें शो कॉज नोटिस देने के निर्देश दिए, साथ ही पूरे प्रकरण की जाँच कर किसान को राहत दिलाने के निर्देश दिए। शिविर में डॉ. विकास मेश्राम ने पशुधन विकास विभाग से संबंधित निराकरणों की जानकारी दी। इसमें सभी पात्र हितग्राहियों को गाय, बकरी, सूअर और मुर्गियाँ दिये जाने की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि गौलीटोला क्लस्टर में पशुधन से संबंधित बहुत सी माँगे आई और इन्हें विभाग द्वारा तत्परता से पूरा किया गया। किसानों ने मछली जाल की भी माँग की है। बेहतर कृषि के साथ पशुपालन एवं मत्स्यपालन जैसे सहयोगी कार्य भी किए जाएं तो किसानों की आय बढ़ने में काफी सहायता मिलेगी। गौलीटोला के ग्रामीणों ने कहा कि केवल महीने में दो दिन ही राशन दुकान खुलती है। कलेक्टर ने दुकान का प्रबंधन स्थानीय समूह को सौंपने एवं सप्ताह में दो दिन राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम परसाटोला में खाद भंडार गोदाम खुलेगा। इसके साथ ही तीन दिन परमिट परसाटोला में मिलेगा।

ग्राम पुसल्दा में आयोजित समाधान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री

0-कुडुमकेला में 1 करोड़ 46 लाख रु.की लागत से नल-जल योजना स्वीकृत

रायगढ़,(आरएनएस)। लोक सुराज अभियान के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह आज घरघोड़ा विकासखण्ड के ग्राम पुसल्दा में आयोजित समाधान शिविर में पहुंचे। शिविर में मुख्यमंत्री ने ग्राम कुडुमकेला में एक करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से टंकी युक्त नल-जल योजना को स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि मई 2018 तक जिले के सभी पारा, टोले, मजरे सहित घरों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो जाएगा। उन्होंने पुसल्दा में पियाईदरहा 50 मीटर पुलिया निर्माण तथा पुसल्दा में पानी टंकी 5 हजार लीटर की क्षमता से 10 हजार लीटर करने की घोषणा की। पुसल्दा बटुराकछार मार्ग निर्माण के साथ ही 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण होगा। कुडुमकेला में 15 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण होगा, टेरम में प्राइमरी स्कूल के अहाता भवन एवं 10 लाख रुपए के सीसी रोड का निर्माण होगा।